



Neutral Citation No. - 2026:AHC:2202

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 5261 वर्ष 2025

रचना देवी

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: सिद्धार्थ शुक्ला, सोमित शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, राहुल कुमार शर्मा

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिनांक 04.11.2025 को पारित आदेश के माध्यम से यह मामला इस न्यायालय में नामांकित किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की सुनवाई की गई और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. दिनांक 21.11.2025 को इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-

"उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क हैं कि जांच अधिकारी ने आवेदक की वार्ता करने या किसी और की आवाज़ की फोरेंसिक साइंस लैब रिपोर्ट कभी पेश नहीं की, लेकिन संबंधित थाने की पुलिस ने पहले सूचना देने वाले का फ़ायदा उठाकर जल्दबाजी में आवेदक को इस मामले में झूठा और गैर-कानूनी तरीके से फंसा दिया तथा आवेदक को इस मामले में सिर्फ आवेदक की कही जा रही आवाज़ की मोबाइल रिकॉर्डिंग दिखाने के आधार पर झूठा फंसाया, जबकि असल में वह आवाज़ आवेदक से जुड़ी नहीं थी, बल्कि पहले सूचना देने वाले ने ही मृतक भाई मानवेंद्र उर्फ मानवेश की प्रॉपर्टी हड़पने के गलत इरादे से उसकी पत्नी और एक और अतेन्द्र उर्फ अतू के खिलाफ़ यह मामला दर्ज कराया था। इसका उल्लेख आवेदन पत्र के प्रस्तर 15 व 16 में किया गया है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह को जमानत आवेदन पत्र के प्रस्तर 15 व 16 के संबंध में विस्तृत आपत्ति दाखिल करने हेतु यथाप्रार्थित 04 सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है।

तत्पश्चात् 02 सप्ताह में आपत्ति का उत्तर दाखिल किया जाय।

तदनुसार, इस वाद को दि० 06.01.2026 को सूचीबद्ध किया जाय।"

4. इस न्यायालय के दिनांक 21.11.2025 के पूर्व आदेश के अनुसार, माननीय ए.जी.ए. ने अनुपालन हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ द्वारा जारी दिनांक 20.08.2025 की रिपोर्ट की प्रति संलग्न है, जो अनुपालन हलफनामे के अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है। दिनांक 20.08.2025 की रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि विश्लेषण के अनुसार,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रदर्श क्यू-1 के रूप में चिह्नित डीवीडी में मौजूद विवादित डिजिटल डेटा के संबंध में कोई राय नहीं दी जा सकी, क्योंकि आवाज मिलान के लिए गुणवत्ता अपर्याप्त थी। इसलिए यह तर्क दिया गया है कि आवेदक को किसी गुप्त इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। माननीय अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सत्यता सिद्ध करने के लिए कई अन्य दलीलें भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण अभियुक्त को झूठा फंसाया गया, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह विधि के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा उचित समझी जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। आगे वह प्रस्तुत करता है कि आवेदक 16.09.2022 से जेल में बंद है।

5. इसके विपरीत, माननीय ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का यह तर्क देते हुए विरोध किया है कि विवाद पूर्व चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है।

6. न्यायालय द्वारा दिए गए बयानों के आलोक में रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, और इस मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, साक्ष्य की प्रकृति और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना को इंगित करने वाली किसी भी ठोस सामग्री के अभाव को ध्यान में रखते हुए, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. आवेदक **रचना देवी**, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 120-बी के तहत मामले संख्या 398 वर्ष 2022 में आरोपी हैं, पुलिस स्टेशन बलदेव, जिला मथुरा, को एक व्यक्तिगत मुचलका और दो भारी स्थानीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, प्रत्येक की राशि संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- iii) आवेदक अवर न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
- iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का संदेह है।
- v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, ताकि वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से हिचक सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सके।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अवर न्यायालय आवेदक की जमानत को कानून के अनुसार रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

9. जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

06 जनवरी 2026

एस.अली

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)



अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।